फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

राहुल कुमार अटल बनाम गोपाल लाल अटल

केस संख्या 33/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आदेश व कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
15.12.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित है। पत्रावली के एडमीशन पर अपीलार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भलीभांति अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 71/2022 ब उनवानी गोपाल लाल अटल बनाम योगेश कुमार अटल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2022 से व्यथित होकर यह अपील पेश की है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 इस प्रकार है– " 16. Appeal (1) Any senior citizen or a parent, as the case may be aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the appellate Tribunal." अर्थात अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवस के अन्दर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। चूंकि यह अपील पुत्र द्वारा पेश की गई है और अधिनियम की धारा 16 में आदेश से व्यथित वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता ही अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। पुत्र को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस अपील पर चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से एडमीशन पर ही खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	